(ग) ई० को लि०/भा० को० लि० द्वारा ऐसी घटनाएं रोकने के लिए उठाए गए ठोस कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल है : —

(1) अनुपयुक्त/निरस्त खान तथा भूमिगत निरस्त क्रियाकलापों में सभी संभावित कोयले के मुहानों को मलबा द्वारा ढक दिया गया है।

(2) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (के० आ० सु० व०) तथा कंपनी के चौकसी कर्मी नियमित रूप से इस क्षेत्र की निगरानी करते हैं, जहां कि पहले गैर-काननी खनन की सूचना मिलली थी। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थानीय पुलिस के सहयोग से भी गैर-कानूनी खनन स्थलों में छापा मारती है, जहां कहीं भी प्राधिकारियों को सूचना मिलती है।

(3) गैर-कानूनी खनन की सूचना प्राप्त होने पर तथा प्राथमिक जांच के पश्चात् कोलियरी प्राधिकारी स्थानीय पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हैं ;।

(4) गैर-कानूनी खनन पर नियंत्रण रखने के लिए भा० को० को० लि०/ई० को लि० राज्य/जिला प्राधिकारियों तथा स्थानीय पुलिस के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखती है।

(5) भा० को० को० लि०/ई० को० लि० के चौकसी स्टाफ द्वारा अचानक जांच तथा छापे मारे जाते हैं।

Expanding trade with South African countries

3086. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of COMMERCE be pleased to refer to the answer to starred Question 120 and Unstarred Question 31 given in the Rajya Sabha on 1st August, 1994 and 25th July, 1994 and state:

(a) the various South African countries with which trade relations are proposed to be expanded; and

(b) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) It is the endeavour of the Govt. to expand trade relations with South African countries having potential markets by:

(i) Creating better awareness about Indian goods by organising participation in international fairs/ exhibitions in the region;

(ii) exchange of industry and trade delegations;

(iii) holding of exclusive Indian exhibitions/fairs;

(iv) holding of regional conferences of commercial representatives of Indian missions to identify emerging opportunities;

(v) Commissioning of studies/ market surveys to identify possible areas of economic cooperation;

(vi) holding periodic official level bilateral discussions to resolve bottlenecks.

कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि

3087. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992 की तुलना में वर्ष 1993 के दौरान विभिन्न कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अनेक उत्पादों के घरेलू मूल्यों में वृद्धि और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण कृषि आधारित निर्यातकों धक्का पहुंचा है ; और

(घ) यदि हां, तो कृषि आधारित निर्यात बढाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारी कदम उठाये गये हैं या उठाय जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जी हाँ। वर्ष 1992–93 और 1993–94

के दौरान विभिन्न कृषि मदों के निर्यात का ब्यौरा निम्नलिखित है :--

(करोड़ रुपए)

क्र० सं०	वस्तु	1992-93	1993-94
1.	चावल	975.60	1280.09
2.	गेहूं	10.21	0.27
3	अन्य अनाज	10.16	48.29
4.	तम्बाकू	474.04	460.96
5.	मसाले	393.42	561.21
6.	काजू	748.66	1044.34
7.	सीसम और निगरलीड	116.22	75.17
8.	मूंगफली	7.72	157.68
9.	तेल खाद्य और ग्वारगम खाद्य	1648.47	2451.28
10.	शैलक	41.07	65.67
11.	चीनी और शीरा	353.51	176.87
12.	फल सब्जियां, प्रसंस्कृत फल आदि	862.63	1083.74
13.	स्प्रिट और पेय	41.65	44.94
14.	दालें	53.44	73.73
		5686.80	7524.24

(स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस कलकत्ता)

(ग) और (घ) वर्ष 1993-94 के दौरान अधिकांश कृषि वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में निर्यात बढाने के लिए किए गए प्रत्यानों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं निरीक्षण प्रक्रियाओं का सरलीकरण चुनिंदा मदों पर न्यूनतम निर्यात कीमत तथा मात्रात्मक प्रतिबंध हटाना, हिमायती ऋण का प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पाद विकास, ई० को० यू०/ई० जी जैड योजना के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ कृषि क्षेत्र को भी देना, घरेलू टैरिफ क्षेत्र में 50% बिक्री की अनुमति देना, विकसित पैकेजिंग के लिए निर्यातकों को सहायता, गुणवत्ता नियंत्रण सुदृढ़ करना, ब्राण्ड संवर्धन अभियान के जरिए अभिज्ञात उत्पादों का निर्यात संवर्धन, क्रेता विक्रेता बैठकें आयोजित करना और अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी ।

Contribution of EPZ's to Exports

3088. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the contribution of exports by the Export Promotion Zones to total exports